

21/2013 गौपाल - क. व. टी

दिनांक

आज्ञा पत्र

9-1-20

पत्रावली पेश बकील अपील को पूर्व पेशी पर हियायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील को रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील को अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील को आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय से इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

406

भू-प्रदाता अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर- (कैम्प कुन्नुवै)

